16

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 163/2021

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

कुलदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नं0 9, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर 165/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 285 भादस पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं मे जप्त शुदा डीजल व पेट्रोल का धारा 6ए ईसी एक्ट के तहत निस्तारण आदेश फरमाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजयसिंह शेखावत, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.11.2021

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2021 को सुश्री गरिमा जिन्दल पुत्री आनन्द जिन्दल, जाति महाजन, उम्र 28 साल, निवासी 40/2 मौहल्ला गुरू नानकनुरा, नारनौल, थाना नारनौल सिटी, हरियाणा हाल प्रशिक्षु आरपीएस सीओ कार्यालय चिडावा ने थाना चिडावा पर एक फर्द जप्ती इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.03.2021 को मैं गरिमा जिन्दल प्रशिक्षु आरपीएस सीओ वृत्त चिडावा कार्यालय पर राजकार्य कर रही थी। वक्त 10.30 एएम पर जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि कस्बा सुल्ताना मे केहरपुरा जाने वाली रोड पर एक शख्स दुकान के सामने अवैध डीजल व पेट्रोल का बेचान कर रहा है। जिस पर मन प्रशिक्षु आरपीएस मय हमराह जाप्ता श्री प्रताप कुमार एचसी 2571, श्री महेन्द्र सिंह कानि नं0 935 के रवाना कस्बा सुल्ताना होकर चौकी सुल्ताना पहुंची। जहां से चौकी इंचार्ज श्री राजेश कुमार हैड कानि नि0 2532 मय जाप्ता को हमराह लिया जाकर रवाना होकर समय 11.15 एएम पर मुताबिक ईतला के केहरपुरा रोड कस्बा सुल्ताना दुकान शेखावत ट्रेवल्स सुल्ताना पहुंची। जहां पर दुकान के बाहर एक व्यक्ति दो ड्रमों एवं नाप के साथ बैठा दिखाई दिया। जिसने दुकान के सामने प्लास्टिक की दो बोतलों मे पेट्रोल जैसा पदार्थ भर कर रखी हुई थी। जो मन प्रशिक्षु आरपीएस व हमराही जाप्ता को बावर्दी देखकर वहां से इधर–उधर खिसकने का प्रयास करने लगा जिसे मन प्रशिक्षु आरपीएस व हमराही जाप्ता द्वारा रोककर नाम पता पूछा तो सकपकाते हुए अपना नाम कुलदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 37 साल, निवासी वार्ड नं0 9 कस्बा सुल्ताना होना बताया। उक्त व्यक्ति को दुकान के सामने रखे ड्रम व नाप के बारे मे पूछा तो शख्स ने उक्त ड्रमों मे पेट्रोल व डीजल होना व नाप से नापकर पेट्रोल डीजल बेचना बताया है। जिस पर उक्त शख्स को पेट्रोल व डीजल अपने कब्जे मे रखने व बेचने बाबत अधिकार पत्र पूछा तो अपने पास कोई अधिकार पत्र/लाईसेन्स होना नही बताया है। जिस पर उक्त शख्स कुलदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं0 9, कस्बा सुल्ताना का बिना अधिकार पत्र के अपने कब्जे मे अतिज्वलनशील

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पदार्थ पेट्रोल व डीजल बिना कोई सुरक्षा उपायों के आम सडक के किनारे रखकर आम जन की सुरक्षा की परवाह किये वगैर बेचना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 285 भादस की खिलाफ वर्जी मे आना पाया गया है। शख्स के कब्जे मे मिले ड्रमों व अन्य उपकरण नाप व तेल डालने की मशीन (पम्प) व कीमा व एक नोट बुक कॉपी के संबंध मे आपराधिक कार्यवाही की जानी है। जिस पर मौके पर उपस्थित लोगों को कार्यवाही के दौरान मौतबीर बनने हेतु हिदायत की गई तो आस पडौस के उपस्थित लोगों ने किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही मे नही पडने की बात कहकर वहां से धीरे–धरे खिसकने लगे। बावजूद तलबी के कोई भी व्यक्ति मौके पर कार्यवाही के दौरान गवाह बनने के लिए तैयार नही हुआ है। जिस पर हमराह जाप्ता मे से श्री राजेश कुमार एचसी 2532 इंचार्ज चौकी सुलताना व श्री प्रताप कुमार एचसी 2571 को मौतबीर मामुर किये जाकर शख्स के कब्जे मे मिले सामान का अवलोकन किया गया तो प्लास्टिक का एक ड्रम जो हरे रंग का पुराना है। जिसके उपर एक प्लास्टिक का छोटे ढक्कन लगा हुआ है तथा दूसरे ढक्कन की जगह एक तेल निकालने की मशीन (पम्प) लगा हुआ है। जो मशीन (पम्प) के लोहे का पाईप लगा हुआ है। जिसकी लम्बाई 4 फुट 4 ईंच है। जिसके एक छोर मे हाथ से चलाने वाली लाल रंग की हैंडल युक्त मशीन लगी हुई है। मशीन के आगे एक फुट लम्बाई का घुमावदार लोहे का पाईप लगा हुआ है। उक्त मशीन को हटाया जाकर ड्रम को चैक किया गया तो ड्रम के करीब चौथे हिस्से मे तरल पदार्थ भरा हुआ है। जिसको मन आइओ व जाप्ता द्वारा परखा गया तो ड्रम मे डीजल होना पाया गया है। उक्त डीजल को पास मे रखे नाप से नापा गया तो ड्रम मे 55 लीटर डीजल भरा होना पाया गया है। तथा दूसरा छोटा ड्रम जो आसमानी रंग का पुराना है। जो तरल पदार्थ से पूरा भरा हुआ है को चैक किया गया तो ड्रम मे पेट्रोल भरा होना पाया गया है। जिसको नाप से नापा गया तो कुल 50 लीटर पेट्रोल भरा होना पाया गया है। तथा ड्रम के पास रखी दो प्लास्टिक की बोतल जो तरल पदार्थ से भरी है को चैक किया गया तो दोनो बोतलों मे पेट्रोल भरा हुआ है। जो दोनो बोतल करीब 1–1 लीटर की क्षमता मे है। ड्रमो के पास रखे तेल नापने के नाप को चैक किया गया तो सभी नाप लोहे की चद्दर के बने हुए है। जिन पर पकडने के लिए लोहे का हत्था लगा हुआ है। सबसे छोटे नाप को शख्स कुलदीप ने एक लीटर की क्षमता का होना बताया है तथा दूसरे नाप पर 2 लीटर क्षमता बाबत पीतल की चिट लगी हुई है। तथा तीसरे नाप पर 5 लीटर क्षमता बाबत पीतल की चिट लगी हुई है व चौथे नाप पर 10 लीटर क्षमता बाबत पीतल की चिट लगी हुई है। तथा उक्त ड्रमों के पास तेल डालने की कीप लगी हुई है तथा उक्त ड्रमों के पास एक नोट बुक (कॉपी) रखी हुई है। जिनमे डीजल व पेट्रोल बेचने का हिसाब लिखा हुआ है। उक्त नोट बुक का अवलोकन किया गया तो नोट बुक पर अंग्रेजी मे **Good Gift** लिखा हुआ है। उक्त कॉपी मे कुल 24 पृष्ठ है। जिसमे प्रथम पृष्ठ खाली है तथा दूसरे पृष्ठ पर दिनांक 13.12.2020 अंकित कर लगातार तीनों पृष्ठों (पृष्ठ संख्या 2, 3, 4) पर दिनांक 11.01.21 तक पेट्रोल डीजल का हिसाब लिखा हुआ है तथा बीच मे शेष पृष्ठ (पृष्ठ संख्या 5 से 13 तक) खाली है तथा बाद मे पृष्ठ संख्या 14 से पृष्ठ संख्या 24 पर विभिन्न लोगों को पेट्रोल व डीजल बेचने बाबत रूपये व डीजल व पेट्रोल का हिसाब लिखा हुआ है। उक्त नोट बुक मे एक कागज की छोटी चिट रखी हुई है। जिस पर दिनांक 26.03.2021 लिखा हुआ है था डीजल व पेट्रोल के अलग अलग कॉलम बनाये हुए है जिनमे डीजल के कॉलम मे 1760/20 लीटर व 440/5 लीटर तथा 530/6 लीटर व पेट्रोल के कॉलम मे 2/100, 1/100, 1/100, 3/300, 3/200 लिखा हुआ है तथा कॉपी मे कुल 960 रूपये रखे हुए है। जिस बाबत शख्स कुलदीप सिंह से पूछा गया तो शख्स कुलदीप सिंह ने स्वयं द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल व डीजल के हिसाब की कॉपी व कॉपी मे रखे रूपये पेट्रोल व डीजल बिक्री के होना बताया है। शख्स के कब्जे मे मिले दोनो ड्रमों मे 750–750 एमएल डीजल व पेट्रोल के अलग अलग नमूना सैम्पल बतौर वजह सबूत जप्त कर दो कांच की बोतलों मे लिये जाकर शील्ड मोहर कर क्रमश मार्क A व B अंकित किया गया। शेष बचा डीजल उसी ड्रमों मे जप्त कर शील्ड मोहर कर मार्क ए 1 व प्लास्टिक के छोटे ड्रम मे शेष बचे पेट्रोल को उसी ड्रम मे जप्त कर शील्ड मोहर कर मार्क ठ 1 अंकित किया गया तथा प्लास्टिक की दोनो बोतलों जिनमे पेट्रोल भरा हुआ है को जप्त किया जाकर शील्ड मोहर कर मार्क C, D अंकित किया गया तथा शख्स कुलदीप के कब्जे मे मिले तेल बेचने के कुल चार नाप व एक कीप तथा एक तेल निकालने की मशीन (पम्प) व एक तेल के हिसाब की नोट बुक व एक पर्ची जिस पर दिनांक 26.03.21 का हिसाब लिखा हुआ है तथा तेल बिक्री के कुल 960

M

जिला कलक्टर झुंझुनूं

18

रूपये प्रकरण की घटना मे वजह सबूत होने से जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया। प्रकरण मे मुलजिम कुलदीप सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति राजपूत, उम्र 37 साल, निवासी वार्ड नं0 9 कस्बा सुल्ताना को जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द पर नमूना शील अंकित की गई। वगैरा फर्द जप्ती पर मुकदमा नं0 165/21 धारा 3/7 ईसी एक्ट व 285 भादस मे दर्ज किया गया है। मुकदमा हाजा मे जप्त शुदा डीजल व पेट्रोल जो अति ज्वलनशील पदार्थ है जिसको मालखाना मे रखने की पर्याप्त व्यवस्था नही है तथा खुले मे लम्बे समय तक रखा जाने के कारण नष्ट हो सकता है। अतः मुकदमा हाजा मे जप्त शुदा डीजल 55 लीटर व पेट्रोल 50 लीटर क्रमशः मार्क "A-1" "B-1" को धारा 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि मौके पर 55 लीटर डीजल मय ड्रम, 50 लीटर पेट्रोल मय ड्रम, तेल निकालने की हस्तचालित मशीन, 2 प्लास्टिक की पेट्रोल भरी हुई बोतलें जिनमे प्रत्येक मे 2 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, एक नाप 1 लीटर क्षमता, एक नाप 2 लीटर क्षमता, एक नाप 5 लीटर क्षमता, एक नाप 10 लीटर क्षमता व 960 रूपये नकद जप्त किये गये है। अप्रार्थी को बिना लाईसेन्स पेट्रोल–डीजल बेचने का कोई अधिकार नही है। पेट्रोल एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा पेट्रोल व डीजल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जप्तशुदा 55 लीटर डीजल व 50 लीटर पेट्रोल स्वयं की गाडियों मे डालने व रिपेयर कार्य के लिए चिडावा के सूरजमल डालमिया, पेट्रोल पम्प से लाया था। अप्रार्थी बिक्री के उद्देश्य से उक्त पेट्रोल व डीजल नही लाया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिले मे काफी पेट्रोल पम्प है फिर अप्रार्थी ने अपने घर पर 55 लीटर डीजल, 50 लीटर पेट्रोल क्यों रखा है। डीजल घर पर रखना खतरनाक है। क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना/आग लगने पर बचाव के कोई उपाय अप्रार्थी के पास नही है। यदि अप्रार्थी को उक्त डीजल बेचान नही करना था तो मौके पर माप क्यों रखे गये थे इसका अप्रार्थी ने बहस मे सन्तोषजनक जबाब नही दिया है। अप्रार्थी ने रिपयेर कार्य के लिए पेट्रोल व डीजल रखने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। जब सुलताना मे पेट्रोल पम्प है तो डीजल पेट्रोल चिडावा से लाने का कोई औचित्य नही है। मौके पर कार्यवाही के दौरान पेट्रोल डीजल बिक्री के हिसाब की डायरी भी मिली है जो अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल– डीजल की अवैध बिक्री एवं अवैध भण्डारण को साबित करता है। अतः प्रकरण मे निम्न प्रकार आदेश दिये जाते हैः–

1. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 55 लीटर डीजल व 50 लीटर पेट्रोल मय ड्रम, तेल निकालने की हस्तचालित मशीन, 2 प्लास्टिक की पेट्रोल भरी हुई बोतलें जिनमे प्रत्येक मे 2 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, एक नाप 1 लीटर क्षमता, एक नाप 2 लीटर क्षमता, एक नाप 5 लीटर क्षमता, एक नाप 10 लीटर क्षमता व 960 रूपये नकद का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू